आर. जी. गुप्ता
अध्यक्ष
विद्युत वितरण कम्पनीज, राजस्थान

विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर–302 005

क्रमांक : अध्यक्ष डिस्कॉम्स/पत्रा. / प्रे. 657 जयपुर, दिनांक –10.10.14

कार्यालय– आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढे हुये भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने के संबंध में।

कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिये कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से **"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"** पूर्व में आदेश संख्या 1173 दिनांक 25.07.12 (जे.पी.आर. 5– 653) द्वारा 30 नवम्बर 2012 तक लागू की गई थी। इसी क्रम में **"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"** को निम्न प्रावधानों के अनुसार पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया है–

1. ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हों, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढाते है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

2. इस **"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"** के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत भार बढा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवा कर भार नियमित किया जावे।

3. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिये उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपये 2500/– प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होंगे।

4. यदि पद (3) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को बढे हुये भार पर प्रति एच. पी. रूपये (2500+2500) कुल रूपये 5000/– मात्र पैनल्टी जमा करानी होगी।

5. योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफॉर्मर क्षमता वृद्धि व नई 11के.वी. लाईन एवं सब–स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

उक्त **"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"** 10 अक्टूबर 2014 से 09 जनवरी 2015 तक प्रभावी रहेगी, एवं 09 जनवरी 2015 के उपरान्त भार सत्यापन के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा।

10/10/2014

(आर. जी. गुप्ता)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (इन्फ्रा), राजस्थान सरकार, जयपुर के निर्देशानुसार मान्यवर के अवलोकनार्थ।
2. ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक,जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/ जोधपुर को पालनार्थ हेतु।

10.10.2014

(आर. एन. कुमावत)
प्रावै. सहा.– अध्यक्ष डिस्कॉम्स